नन्दु धोबी / सीता लाल ... प्र.सं. ...

25/6/25 पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 13/8/25 को पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

13.08.2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/निगरानीकार अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण की बाद तामील रजिस्टर्ड पोस्टल रसीद पेश की, जिसे शा. फा. किया गया। अप्रार्थी सं.01 बावजूद तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी सं.01 को विधिवत आवाजे लगाई गई, किन्तु उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं आया। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया श्रीमती नन्दु पत्नी रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने से उनके वैध वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रा. पत्र मय वसीयती उत्तराधिकारी का अधिकार पत्र भी पेश किया। प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत O-22 R-3 व 10 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से संशोधित अनवान पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 08/10/2025 को पेश हो।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

08.10.2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी सं.01 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं.02 औपचारिक पक्षकार है। आईन्दा पेशी पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत O-9 R-9 व सपठित धारा 151 जा.दी. पर बहस आवश्यक रूप से सुनी जावेगी। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 03.12.2025 को पेश हो।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

03.12.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 व सपठित धारा 151 जा.दी. दिनांक 04.8.23 पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्र. सं. 31/2019 (निगरानी) में पारित आदेश दिनांक 27.06.2023 को अपास्त फरमाया जाकर निगरानी को पुनः नंबर पर लिया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. दिनांक 04.08.2023 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार हो। मूल निगरानी प्र.सं. 31/2019 (निगरानी) के साथ नत्थी रहे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा